भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4324

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

यौन हिंसा का निवारण

4324. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर ओडिशा राज्य में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने यौन हिंसा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कोई नई नीतियां, कार्यक्रम या जागरूकता अभियान लागू किए हैं या करने का विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करने और समय-समय पर उनकी निगरानी करने सहित जमीनी स्तर पर इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने यौन हिंसा की रोकथाम को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य सरकारी निकायों या गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कानूनी विशेषज्ञों द्वारा आवधिक परामर्श और यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए कानूनी और संस्थागत सहायता का विस्तार करने के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों या परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच एवं अभियोजन सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इस तरह के अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालांकि, केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उसने इस संबंध में कई पहलें की हैं।

सरकार ने कार्यस्थलों सहित घरेलू और सार्वजनिक स्थानों पर महिला सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

(i) आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने एवं सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) अधिनियमित किया है जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुआ। बीएनएस 2023 में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों जो भारतीय दंड संहिता, 1860 में पहले अलग–अलग थे, को बीएनएस के अध्याय-V के तहत एक साथ लाया गया और समेकित किया गया है। बीएनएस में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनों को मजबूत करने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं विशेष रूप से, "संगठित अपराध" से संबंधित धारा 111; विवाह, रोजगार, पदोन्नति का झूठा वादा कर या पहचान छिपाकर यौन संभोग से संबंधित धारा 69; अपराध करने के लिए बच्चे को हायर करने, काम पर रखने, या उससे अपराध कराने से संबंधित धारा 95; वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए बच्चे को खरीदने (धारा 99), सामूहिक बलात्कार (धारा 70) और मानव दुर्व्यापार के शिकार व्यक्ति के शोषण (धारा 144) से संबंधित अपराधों के संबंध में सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, महिलाओं के प्रति कतिपय गंभीर अपराधों जैसे वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से बच्चा खरीदना (बीएनएस की धारा 99), संगठित अपराध (धारा 111), भीख मांगने के उद्देश्य से बच्चे का अपहरण अथवा अपंग बनाना (धारा 139) के संबंध में न्यूनतम दण्ड अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं। साथ ही, बीएनएस 2023 की धारा 75 और 79 उत्पीड़न से अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अशोभनीय यौन संकेत, यौन संबंध के लिए अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणियां और किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा

या कृत्य जैसे कार्य शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली ऐसी महिला के पास इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है।

(ii) शून्य एफआईआर और इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) की शुरूआत कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने और कानून प्रवर्तन की प्रभावशीलता में सुधार करने में एक उल्लेखनीय प्रगति है। इन उपायों ने प्रणाली में भौगोलिक प्रतिबंधों और प्रशासनिक अड़चनों को दूर किया है।

(iii) बीएनएसएस की धारा 193(3)(ii) पुलिस अधिकारी को नब्बे दिनों की अवधि के भीतर जांच की प्रगति की जानकारी मुखबिर या पीड़ित को देने का अधिदेश देती है। बीएनएसएस की धारा 398 के प्रावधानों से गवाह संरक्षण योजनाओं की शुरुआत हुई है जिसमें गवाहों को धमकियों और त्रास से बचाने की महत्वपूर्ण जरूरत को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, बीएसए की धारा 2(1)(डी) में ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत संदेशों और वॉयस मेल संदेशों को अब दस्तावेजों की परिभाषा के तहत शामिल किया गया है।

(iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' (एसएच अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए शी–बॉक्स पोर्टल शुरु किया है। यह पोर्टल देश भर में चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र, में गठित आंतरिक समितियों (आईसी) और स्थानीय समितियों (एलसी) से संबंधित सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने वाला केंद्रीकृत भंडार है। यह शिकायतें दर्ज करने एवं इन शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने का एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इस पोर्टल में एक ऐसी सुविधा है जिसमें इस पर पंजीकृत शिकायतों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र के भीतर संबंधित कार्यस्थलों के आईसी/एलसी को स्वचालित रूप से अग्रेषित कर दी जाएंगी। इस पोर्टल में प्रत्येक कार्यस्थल के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का प्रावधान है जिसे शिकायतों की तात्कालिक निगरानी के लिए नियमित आधार पर आंकड़ों/सूचनाओं को अद्यतन करना सुनिश्चित करना होता है।

(v) निर्भया कोष के अंतर्गत, सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं:

(क) मिशन शक्ति की संबल उप-योजना, वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) घटक में हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर विविध एकीकृत सेवाएं जैसे पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता एवं कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि 5 दिनों

तक उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 802 ओएससी कार्यशील बनाए गए हैं जिनसे अब तक 10.12 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गयी है।

(ख) निर्भया कोष के तहत पूरी तरह कार्यशील समर्पित 24×7×365 टोल-फ्री महिला हेल्पलाइन-181 (डब्ल्यूएचएल) देश भर में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह हेल्पलाइन 112 के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। जरूरतमंद महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए, विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) की स्थापना की गई है, जिसमें फील्ड संसाधनों के कंप्यूटर की सहायता से प्रेषण की सुविधा है। 31 अक्टूबर, 2024 तक, देश भर में कुल 81,64,796 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) इसके अलावा, केंद्र सरकार ने निर्भया कोष के तहत सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। अब तक पुलिस थानों में 14658 महिला सहायता डेस्क स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 13,743 की प्रमुख महिलाएं हैं। इसके साथ ही, मानव दुर्व्यापार की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता के लिए कुल 827 मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं, जिनमें 24,264 लोगों को साइबर से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(घ) उन सार्वजनिक स्थानों जहां महिलाएं कार्य करती हैं एवं रहती हैं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 8 शहरों (अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाओं के तहत विभिन्न घटक कार्यान्वित किए गए हैं। महिलाओं का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए रेल और सड़क परिवहन परियोजनाएं जैसे एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईआरएमएस), कोंकण रेलवे में वीडियो निगरानी प्रणाली, वीडियो निगरानी प्रणाली के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), जिसमें 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर और रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए टैब शामिल हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कमांड और नियंत्रण केंद्र के साथ वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म जैसी परियोजनाएं तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश

सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी), तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी), इत्यादि जैसी कुछ राज्य विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

(ङ) जघन्य यौन अपराधों की पीड़िता दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और युवा लड़कियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से, सरकार वर्ष 2019 से फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 790 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 408 विशेष पॉक्सो (ई-पॉक्सो) अदालतों सहित 750 एफटीएससी 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील हैं, जिन्होंने देश भर में बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के 2,87,000 से अधिक मामले निपटाए हैं।

(vi) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआर एंड डी ने 'पुलिस थानों में स्थापित महिला हेल्प डेस्क का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी तैयार की हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम तथा पता लगाने एवं अपराध पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उपयुक्त व्यवहार और अभिवृत्ति संबंधी कौशलों पर बल दिया गया है। बीपीआर एंड डी द्वारा संवेदनशीलता, पुलिस कर्मियों की लैंगिक संवेदनशीलता इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

(vii) गृह मंत्रालय ने अपराध बहु एजेंसी केंद्र (क्राइ-मैक) भी स्थापित की है, जो वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव दुर्व्यापार सहित अपराध और अपराधियों के बारे में ऑनलाइन जानकारी साझा करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का संचार मंच है। यह मंच 24x7 आधार पर संचालित होता है और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाता है। साइबर-सक्षम यौन दुर्व्यापार की बढ़ती चिंता को दूर करने में क्राइ-मैक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(viii) सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, जो समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों तक कानूनी ज्ञान के प्रसार को अनिवार्य बनाता है। इस अधिनियम के माध्यम से, विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी साक्षरता शिविरों, कार्यशालाओं, मीडिया अभियान का संचालन और क्षेत्रीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का वितरण करते हैं। यह पहल नागरिकों को उनके अधिकारों और उपायों के ज्ञान से सशक्त बनाने, न्याय तक समान पहुंच को बढ़ावा देने

और शोषण को कम करने पर जोर देती है। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत स्थापित लोक अदालतें न केवल विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाती हैं बल्कि कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच का भी काम करती हैं।

(ix) हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को मनो-सामाजिक परामर्श की जरूरत को स्वीकार करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा और संकट का सामना कर रही महिलाओं की मनो-सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'स्त्री मनोरक्षा' नामक परियोजना के तहत देश भर में वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के कार्मिकों को बुनियादी एवं उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) की सेवाएं ली हैं।

(x) इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति के तहत उप-योजना "सामर्थ्य" भी संचालित करता है, जिसमें शक्ति सदन घटक कठिन परिस्थितियों में रहने वाली और दुर्व्यापार की पीड़ित महिलाओं को राहत देने और पुनर्वास के लिए है।

(xi) मिशन शक्ति के अन्य घटक सखी निवास (कामकाजी महिला छात्रावास) में शहरी, अर्ध-शहरी, या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा जहां भी संभव हो, के साथ सुरक्षित एवं सुविधाजनक रूप से स्थित आवास उपलब्ध कराया जाता है। सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 5000 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए हैं।

(xii) सरकार, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) जैसी संस्थाओं एवं राज्यों में ऐसे ही संस्थानों के माध्यम से सेमिनारों, कार्यशालाओं, दृश्य-श्रव्य, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है ताकि लोगों को महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून के विभिन्न प्रावधानों तथा नीतियों इत्यादि के बारे में भी संवेदनशील बनाया जा सके। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं। पंजीकृत शिकायतों के संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए मामले को हितधारकों विशेष रूप से पुलिस प्राधिकरणों के समक्ष उठाता है कि शिकायतों का निवारण किया जाता है और उनका तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जाता है।

निर्भया कोष के तहत ओडिशा राज्य में कार्यान्वित की गई/की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)-112,

मानव-दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिला हेल्प डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी), राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एसएफएसएल) में साइबर फोरेंसिक और संबंधित सुविधाएं, महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमीकरण (डब्ल्यूएचएल)-181, राज्यवार वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीटीपी), फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) को प्रशिक्षण, बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना शामिल हैं। ओडिशा राज्य में 30 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यरत हैं जहां 30 जिलों में से प्रत्येक में एक ओएससी है।

सरकार की व्यापक पहलें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। विधायी सुधारों, तकनीकी प्रगति, पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण और जागरूकता कार्यक्रमों को एकीकृत करके, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों का निदान करने, न्याय सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त आधार तैयार किया है। ये प्रयास एक सुरक्षित और समावेशी समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का संकेत देते हैं जिसमें महिलाएं बिना किसी डर या भेदभाव के आगे बढ़ सकती हैं।

*****